



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

सीबीएसई/समन्वय/आंतरिक ग्रेड/2026/

दिनांक: 16.01.2025

सेवा मे

सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों के
प्रधानाचार्य/केंद्र के प्रमुख

विषय: कक्षा दसियों/बारहवीं के छात्रों को परीक्षा नैतिकता के बारे में पता है।

महोदया/महोदय

सीबीएसई दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगा 15 फरवरी, 2025 से 204 विषयों में 44 लाख छात्र शामिल होंगे। इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित करने के लिए सीबीएसई द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण अनुपालन आवश्यक है।

आप इस बात से सहमत होंगे कि निष्पक्ष परीक्षा का आयोजन स्टेटिडेंट्स के शैक्षणिक हित में आवश्यक है। तदनुसार, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा एक विस्तृत अनुचित साधन नियम तैयार किए गए हैं। यह वांछनीय है कि परीक्षाओं की शुरुआत से पहले, बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी छात्रों को परीक्षाओं की नैतिकता, उनके नियमों और सीबीएसई द्वारा जारी निर्देशों के बारे में सूचित किया जाए। हालांकि छात्र के प्रवेश पत्र पर निर्देश दिए गए हैं, हालांकि, यह पत्र सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के सभी प्रधानाचार्यों से अनुरोध के साथ इसे दोहराने के लिए है अपने छात्रों को संवेदनशील बनाना और परीक्षा, हॉल/केंद्र में अनुचित प्रथाओं के उपयोग के निषेध के प्रति सामान्य जागरूकता पैदा करना।

विद्यालयों से निम्नलिखित वांछित है: -

1. कृपया यूएफएम दिशानिर्देशों और दंड है कि लगाया जा सकता है पढ़ें.
2. छात्रों को परीक्षा नैतिकता और दंड के बारे में जानकारी दें। उन्हें यह भी सूचित करें कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और परीक्षाओं के सुचारु संचालन को प्रभावित करने वाले अफवाहों को फैलाने में खुद को शामिल न करें।
3. माता-पिता को परीक्षा नैतिकता और दंड के बारे में भी जानकारी दें
4. परीक्षा के दिन भी छात्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए याद दिलाएं कि वे परीक्षा केंद्र पर कोई प्रतिबंधित वस्तु नहीं ले जा रहे हैं।
5. परीक्षा झूटी पर तैनात अधिकारियों को भी जानकारी दी जाए।



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077
CBSE Integrated Office Complex, Sector-23, Phase-1, Dwarka, New Delhi-110077

Phone (off.) : 011-24050336-42, Website: www.cbse.gov.in



आप जानते हैं कि सीबीएसई ने सीसीटीवी नीति भी लागू की है जिसके तहत प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सभी परीक्षा कक्षा/हॉल सीसीटीवी से लैस हैं जो प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सहायक अधीक्षक (सीसीटीवी निगरानी) द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। आपका ध्यान यूएफएम नियमों के नए जोड़े गए निम्नलिखित प्रावधानों की ओर भी आकर्षित किया गया है: -

अनुचित साधनों का कार्य	लागू दंड
श्रेणी - 3 (नई) (i) परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के बाद संचार उपकरण के रूप में उपयोग किए जा सकने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (मोबाइल फोन सहित) का कब्जा, उपयोग या उपयोग का प्रयास। निरीक्षक/चेकिंग स्टाफ की रिपोर्ट द्वारा समर्थित। (ii) छात्र अफवाहें फैलाने में लिप्त हैं, जिससे परीक्षाओं के सुचारु संचालन पर असर पड़ रहा है।	पूर्ण विषयों में वर्तमान के साथ-साथ अगले वर्ष की परीक्षा रद्द करना और उसके बाद पूर्ण विषयों में परीक्षा लिखने / लेने के लिए पात्र होगा।

तदनुसार, सभी छात्रों को सूचित किया जाना चाहिए कि किसी भी संचार उपकरण के कब्जे, उपयोग या उपयोग का प्रयास करने से कड़े उपाय किए जा सकते हैं जैसा कि उपरोक्त तालिका में उल्लेख किया गया है। उन्हें यह भी सूचित किया जाना चाहिए कि उन्हें अफवाहें फैलाने से बचना चाहिए जो परीक्षा के सुचारु संचालन को प्रभावित कर सकती हैं।

सभी के लिए तैयार संदर्भ और सुविधा के लिए यूएफएम नियमों के साथ वर्जित और अनुमत वस्तुओं की एक सूची संलग्न है।

यह माना जाता है कि छात्रों/अभिभावकों के बीच उपरोक्त जानकारी का व्यापक प्रचार परीक्षाओं के सुचारु और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करेगा और यह केवल स्कूलों के सहयोग से ही किया जा सकता है और इस प्रकार, इसकी मांग की जा रही है।

भवदीय

ह-/

(डॉ. संयम भारद्वाज)

परीक्षा नियंत्रक

संलग्नक: जैसा कि ऊपर कहा गया है

प्रतिलिपि: वेब व्यवस्थापक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

अनुमत और वर्जित वस्तुएं और ड्रेस कोड

परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले छात्रों की व्यापक और अनिवार्य शारीरिक तलाशी की जाएगी। निम्नलिखित उन वस्तुओं की सूची है जिन्हें परीक्षा केंद्रों पर ले जाने की अनुमति है और प्रतिबंधित किया गया है:

अनुमत वस्तुओं की सूची

- (क) प्रवेश-पत्र और स्कूल पहचान पत्र (नियमित छात्रों के लिए)
- (ख) प्रवेश पत्र और किसी भी सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान प्रमाण (निजी छात्रों के लिए) स्टेशनरी वस्तुएं यानी, पारदर्शी पाउच, ज्यामिति / पेंसिल बॉक्स, ब्लू / रॉयल ब्लू इंक / बॉल प्वाइंट / जेल पेन, स्केल, राइटिंग पैड, इरेज़र,
- (ग) एनालॉग घड़ी, पारदर्शी पानी की बोतल।
- (घ) मेट्रो कार्ड, बस पास, पैसा।

वर्जित वस्तुओं की सूची

- (क) कोई भी स्टेशनरी वस्तुएं - जैसे पाठ्य सामग्री (मुद्रित या लिखित), कागजात के टुकड़े, कैलकुलेटर (सीखने की विकलांगता वाले छात्रों यानी डिस्कैलकुलिया को परिपत्र संख्या के अनुसार कैलकुलेटर का उपयोग करने की अनुमति है। सीबीएसई/सीओओआरडी/2020 दिनांक 20.01.2020 के माध्यम से और परीक्षा केंद्र), पेन ड्राइव, कैलकुलेटर, लॉग टेबल (केंद्रों द्वारा प्रदान किया जाएगा), इलेक्ट्रॉनिक पेन / स्कैनर, आदि द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
- (ख) कोई भी संचार उपकरण - जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, स्मार्ट वॉच, कैमरा, आदि।
- (ग) अन्य वस्तुएं जैसे वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग, पाउच आदि।
- (घ) मधुमेह के छात्रों को छोड़कर कोई भी खाने योग्य वस्तु खोली या पैक की गई
- (ङ) कोई अन्य वस्तु जिसका उपयोग अनुचित साधनों के लिए किया जा सकता है
- (च) उपरोक्त या इसी तरह की वस्तुओं के उपयोग को "अनुचित साधन" श्रेणी के तहत माना जाएगा और नियमों के अनुसार सजा होगी।

ड्रेस कोड

- नियमित छात्रों के लिए - स्कूल यूनिफॉर्म
- निजी छात्रों के लिए - हल्के कपड़े

1. अनुचित साधनों के सभी मामलों को निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार निपटाया जाएगा

श्रेणी - 1		
1.1	पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र होना। निरीक्षक/चेकिंग स्टाफ की रिपोर्ट द्वारा समर्थित	संबंधित विषय में वर्तमान परीक्षा रद्द करना। कंपार्टमेंट परीक्षा में उस विषय में परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, यदि अन्यथा पात्र हो। संदेह का लाभ ऐसे छात्र को दिया जाएगा जिसके खिलाफ उनकी ओर से गलत इरादों की गवाही देने के लिए कोई सबूत उपलब्ध नहीं है।
1.2	उत्तर लिखने के लिए उत्तर पुस्तिका के अलावा किसी अन्य सामग्री पर प्रश्न या उत्तर लिखना। निरीक्षक/चेकिंग स्टाफ की रिपोर्ट द्वारा समर्थित	
1.3	उत्तर पुस्तिका या पूरक उत्तर पुस्तिका आदि के किसी भी पृष्ठ को फाड़ना। निरीक्षक/चेकिंग स्टाफ की रिपोर्ट से समर्थित है कि छात्र ने उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ को फाड़ दिया है	
1.4	परीक्षा केंद्र में परीक्षा के समय परीक्षा स्टाफ के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क करना या संवाद करना या ऐसा करने का प्रयास करना। निरीक्षक/चेकिंग स्टाफ की रिपोर्ट द्वारा समर्थित	
1.5	उसके पास प्रतिलिपि सामग्री (हार्ड कॉपी आदि) है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया है। निरीक्षक/चेकिंग स्टाफ की रिपोर्ट द्वारा समर्थित	
1.6	परीक्षा के संचालन के संबंध में परीक्षा नियमों या सीबीएसई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी निर्देश का उल्लंघन करना। विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा समर्थित	
श्रेणी - 2		
2.1	प्रवेश पत्र पर मनगढ़ंत तस्वीर लगाना/अपलोड करना। दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित	सभी विषयों में वर्तमान परीक्षा रद्द करना। अगले साल सभी विषयों की परीक्षा देनी होगी
2.2	उत्तर पुस्तिका पर छपी किसी भी जानकारी को मिटाना या मिटाना। निरीक्षक / चेकिंग स्टाफ या मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट द्वारा समर्थित	
2.3	उत्तर पुस्तिका पर गलत जानकारी प्रदान करना। दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित	
2.4	उसके पास प्रतिलिपि सामग्री (हार्ड कॉपी इत्यादि) होना और उसका उपयोग करना । निरीक्षक/चेकिंग स्टाफ या मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट द्वारा समर्थित	
2.5	किसी अन्य छात्र या सहायक अधीक्षक के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संवाद करना। निरीक्षक/चेकिंग स्टाफ की रिपोर्ट द्वारा समर्थित	

2.6	अन्य छात्र को कदाचार में संलग्न होने में सहायता करना। निरीक्षक/चेकिंग स्टाफ की रिपोर्ट द्वारा समर्थित	
2.7	किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य छात्रों को सहायता देना या ऐसा करने का प्रयास करना। निरीक्षक/चेकिंग स्टाफ की रिपोर्ट द्वारा समर्थित	
2.8	किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य छात्र (छात्रों) से सहायता लेना या ऐसा करने का प्रयास करना। निरीक्षक/चेकिंग स्टाफ की रिपोर्ट द्वारा समर्थित	
श्रेणी - 3		
3.1	परीक्षा हॉल/कमरे/केंद्र से उत्तर पुस्तिका निकालना	सभी विषयों में वर्तमान के साथ-साथ अगले वर्ष की परीक्षा रद्द करना। इसके बाद सभी विषयों में परीक्षा देनी होगी।
3.2	परीक्षा हॉल से प्रश्न पत्र या उसके कुछ हिस्से की तस्करी करना।	
3.3	परीक्षा हॉल से उत्तर पुस्तिकाओं/अनुपूरक उत्तर पुस्तिकाओं या उसके कुछ हिस्से की तस्करी करना। निरीक्षक/चेकिंग स्टाफ की रिपोर्ट द्वारा समर्थित	
3.4	परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के बाद किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (मोबाइल फोन सहित) का कब्जा, उपयोग या उपयोग का प्रयास, जिसे संचार उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। निरीक्षक/चेकिंग स्टाफ की रिपोर्ट द्वारा समर्थित	
3.5	ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को धमकी देकर अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना। निरीक्षक/चेकिंग स्टाफ की रिपोर्ट द्वारा समर्थित	
3.6	परीक्षा के समय या उसके बाद परीक्षा केंद्र में हिंसा में लिप्त होना। निरीक्षक/चेकिंग स्टाफ की रिपोर्ट द्वारा समर्थित	
3.7	परीक्षा केंद्र या हॉल में जबरन प्रवेश/निकास। निरीक्षक/चेकिंग स्टाफ की रिपोर्ट द्वारा समर्थित	
श्रेणी - 4		
4.1	प्रतिरूपण। किसी और को परीक्षा लिखने के लिए भुगतान करना/रखना/करवाना। निरीक्षक/चेकिंग स्टाफ की रिपोर्ट द्वारा समर्थित	सभी विषयों में वर्तमान के साथ-साथ अगले तीन वर्षों की परीक्षा रद्द करना। इसके बाद सभी विषयों में परीक्षा देनी होगी।
4.2	परीक्षा से संबंधित किसी भी सामग्री को सोशल मीडिया पर अपलोड करना/साझा करना, सही या गलत। विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा समर्थित	
4.3	इन परीक्षाओं में अनधिकृत विशेषाधिकार (ओं) की मांग करते हुए परीक्षाओं के संचालन से संबंधित किसी भी प्राधिकरण (व्यक्तियों) / व्यक्तियों (व्यक्तियों) से संपर्क करना।	

	ऐसे प्राधिकरण की रिपोर्ट द्वारा समर्थित	
4.4	गलत जानकारी देकर सीबीएसई को अपने पक्ष में लाभ प्राप्त करने के लिए प्रभावित करने के लिए कानूनी पाठ्यक्रम या कोई अन्य साधन अपनाना। दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित	
श्रेणी - 5		
5.1	उत्तर पुस्तिका में अश्लील/अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना। निरीक्षक/चेकिंग स्टाफ या मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट द्वारा समर्थित	यूएफएम समिति द्वारा परामर्श ताकि वह भविष्य की परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिका में ऐसी भाषा का प्रयोग करने से बच सके। करेंसी नोट आदि जब्त कर बोर्ड के खाते में जमा कर दिए जाएंगे।
5.2	मूल्यांकनकर्ताओं के लिए उत्तर पुस्तिका में किसी अपील के साथ या बिना किसी अपील के धमकी भरी भाषा का उपयोग करना। निरीक्षक/चेकिंग स्टाफ या मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट द्वारा समर्थित	
5.3	उत्तर पुस्तिका में किसी अपील के साथ या बिना किसी अपील के भाषा/स्वयं को नुकसान पहुंचाने की धमकी का उपयोग करना। निरीक्षक/चेकिंग स्टाफ या मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट द्वारा समर्थित	
5.4	उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य स्याही या पेंसिल का उपयोग। निरीक्षक/चेकिंग स्टाफ या मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट द्वारा समर्थित	
5.5	मूल्यांकनकर्ता के लिए किसी अपील/संदेश के साथ या बिना उत्तर पुस्तिका के साथ एक करेंसी नोट या ऐसे अन्य लिखत को संलग्न करना। निरीक्षक/चेकिंग स्टाफ या मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट द्वारा समर्थित	